आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 238 **/2026** अनवान ***नरेन्द्र कुमार व अन्य बनाम हिन्दूसिंह वगैरा***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15.04.26 17.04.26	वकील अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 की ओर से केवियटर अधिवक्ता उपस्थित। उक्त अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी चौहटन (बाडमेर) द्वारा अन्तर्गत धारा 81 आर.एल.आर एक्ट के तहत हिन्दुसिंह बनाम नरेन्द्र कुमार व अन्य में दिनांक 16.06.2025 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किए। प्रकरण में केवियट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.03.26 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम एवं अपील पोषणीय नही होने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति वकील अपीलांट को उपलब्ध करवायी गई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की इस्तदुआ पर भी मनन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर हस्तगत अपील उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश /अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आरएलआर एक्ट की धारा 75 एवं 76 के तहत भू.अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित मूल आज्ञा के विरूद्ध भू. अभिलेख निदेशक को अपील प्रस्तुत करने के प्रावधान है। इस स्थिति में उक्त अपील औचित्यहीन प्रतीत होने से, इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। 17/4/26. (सुनिता चौधरी) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर